

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० प्रधान कार्यालय लखनऊ।

परिपत्र सं०:-

सी-48/लेखा/ब्याज दर/2020-21

दिनांक 24/02/2021

समस्त क्षेत्रीय / वरिष्ठ / शाखा प्रबन्धक,  
उ०प्र०सहाकारी ग्राम विकास बैंक लि०  
उत्तर प्रदेश।

विषय- सावधि जमा पर ब्याज दरों में संशोधन।

बैंक के परिपत्र संख्या सी-68/सावधि जमा/ब्याज दर/ 2019-20 दिनांक 07.02.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सावधि जमा निक्षेप पर दिनांक 11.02.2020 से देय ब्याज दरों हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः सावधि जमा पर अन्य व्यवसायिक/सहकारी तथा ग्रामीण बैंको की ब्याज दरों के तुलनात्मक तथा बैंक की वित्तीय तरलता को दृष्टिगत रखते हुये बैंक की सावधि जमा योजना में दिनांक 01.03.2021 अथवा इसके पश्चात जमा व नवीनीकृत होने वाली सभी प्रकार की अवधि में किये गये सावधि जमा निक्षेपो पर बैंक द्वारा देय ब्याज दर निम्नवत होंगी:-

अवधि	दिनांक 01.03.2021 से प्रभावी ब्याज दरें।	
	ब्याज दर	परिपक्वता अवधि के पूर्व भुगतान की स्थिति में ब्याज दर
1 वर्ष की अवधि	5.40	4.40
1 वर्ष से अधिक किन्तु 3 वर्ष से कम अवधि	5.35	4.35
3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष से कम की अवधि	5.45	4.45
5 वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि हेतु	5.50	4.50

इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों को उक्त लागू की गई ब्याज दरों से 0.5 प्रतिशत अधिक ब्याज दर का लाभ दिया जायेगा।

शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

(ए०के० सिंह)  
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- समस्त अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० प्रधान कार्यालय, लखनऊ/प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ।
- समस्त अनुभाग प्रभारी, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक